Toppersnotes
Unleash the topper in you

BNS

भारतीय न्याय संहिता

सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए

भाग - 2

SIERRA INNOVATIONS

INDEX

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)		
1.	भारतीय न्याय संहिता 2023, (BNS) की संगत धारा तालिका	1
2.	मामलों की सूची [BNS]	42
3.	परिचय (Introduction)	52
4.	महत्वपूर्ण सिद्धांतों और नियमों की सूची	57
5.	नए जोड़े गए प्रावधान (Newly Added Provisions)	59
6.	BNS, 2023 की मुख्य बातें (Highlights)	61
7.	दण्ड के सिद्धांत (Theories of Punishment)	62
8.	अपराध के तत्व (Elements of Crime)	63
9.	अपराध के चरण (Stages of Crime)	65
10.	दण्ड दायित्व (Penal Liability)	66
11.	व्यक्तिगत दायित्व (Individual liability)	66
12.	प्रतिनिहित दायित्व (Vicarious liability)	66
13.	पूर्ण दायित्व (Strict liability)	67
14.	बचाव का अधिकार (Right to Defend)	67
15.	**अध्याय I :** धारा 1-3 [संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना]	68
16.	**अध्याय II :** धारा 4-13 [दण्ड]	80
17.	**अध्याय III :** धारा 14-44: [साधारण अपवाद]	86
18.	**अध्याय IV :** धारा 45-62 [दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में]	105
19.	**अध्याय V :** धारा 63-99 [स्त्री और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में]	117
20.	**अध्याय VI :** धारा 100-146 [मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में]	131
21.	**अध्याय VII :** धारा 147-158 [राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में]	153
22.	**अध्याय VIII :** धारा 159-168 सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित अपराधों के विषय में	156
23.	**अध्याय IX :** धारा 169-177 [निर्वाचनों से संबंधित अपराधों के विषय में (Of Offences Relating to Elections)]	158
24.	**अध्याय X :** धारा 178-188 [सिक्का, करेंसी-नोट, बैंक-नोट और सरकारी स्टांप से संबंधित अपराधों के विषय में (Of Offences Relating to Coin, Currency-Notes, Bank-Notes, and Government Stamps)]	160

25.	**अध्याय XI :** धारा 189-197 [लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में (Of Offences Against the Public Tranquillity)]	**163**
26.	**अध्याय XII :** धारा 198-205 [लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में (Of Offences by or Relating to Public Servants)]	**169**
27.	**अध्याय XIII :** धारा 206-226 [लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में (Of Contempts of the Lawful Authority of Public Servants)]	**171**
28.	**अध्याय XIV :** धारा 227-269 [मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में (Of False Evidence and Offences Against Public Justice)]	**177**
29.	**अध्याय XV :** धारा 270-297 [लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में (Of Offences Affecting the Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals)]	**186**
30.	**अध्याय XVI :** धारा 298-302 [धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में (Of Offences Relating to Religion)]	**192**
31.	**अध्याय XVII :** धारा 303-334 [संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में (Of Offences Against Property)]	**195**
32.	**अध्याय XVIII :** धारा 335-350 [दस्तावेजों और संपत्ति चिह्नों से संबंधित अपराधों के विषय में (Of Offences Relating to Documents and to Property Marks)]	**220**
33.	**अध्याय XIX :** धारा 351-357 [आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि, आदि के विषय में (Of Criminal Intimidation, Insult, Annoyance, Defamation, etc.)]	**228**
34.	**अध्याय XX :** धारा 358 [निरसन और व्यावृत्ति (Repeal and Savings)]	**236**

1 CHAPTER Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS)

भारतीय न्याय संहिता 2023, (BNS) की संगत धारा तालिका

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)	**भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC)**
अध्याय I - प्रारंभिक (Preliminary)	**अध्याय I - प्रस्तावना** (Introduction)
1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना। 1(1) (Short title, commencement and application)	1. संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। (Title and extent of operation of the Code)
1(2)	**नई उप-धारा** (New Sub-Section)
1(3)	2. भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड। (Punishment of offences committed within India)
1(4)	3. भारत से परे किए गए किन्तु विधि के अनुसार भारत के भीतर विचारणीय (triable) अपराधों का दण्ड। (Punishment of offences committed beyond, but which by law may be tried within, India)
1(5)	4. राज्यक्षेत्रातीत (extra-territorial) अपराधों पर संहिता का विस्तार। (Extension of Code to extra-territorial offences)
1(6)	5. इस अधिनियम द्वारा कुछ विधियों पर प्रभाव न डाला जाना। (Certain laws not to be affected by this Act)
2. परिभाषाएँ। (परिवर्तन) (Definitions. (Change))	
2(1) 'कार्य' ('act')	33. "कार्य"। "लोप"। ("Act". "Omission")
2(2) 'पशु' ('animal')	47. "पशु"। ("Animal")
2(3) 'बालक' ('child')	**नई उप-धारा** (New Sub-Section)
2(4) 'कूटकरण' ('counterfeit')	28. "कूटकरण"। ("Counterfeit")
2(5) 'न्यायालय' ('Court')	20. "न्यायालय"। ("Court of Justice")

2(6) 'मृत्यु' ('death')	46. "मृत्यु"। ("Death")
2(7) 'बेईमानी से' ('dishonestly')	24. "बेईमानी से"। ("Dishonestly")
2(8) 'दस्तावेज़' (परिवर्तन) ('document' (Change))	29. "दस्तावेज़"। ("Document")
हटा दिया गया (Deleted)	**29A. "इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख"।** ("Electronic record")
2(9) 'कपटपूर्वक' ('fraudulently')	25. "कपटपूर्वक"। ("Fraudulently")
2(10) 'लिंग' (परिवर्तन) ('gender' (Change))	8. लिंग। (Gender)
2(11) 'सद्भावपूर्वक' ('good faith')	52. "सद्भावपूर्वक"। ("Good faith")
2(12) 'सरकार' ('Government')	17. "सरकार"। ("Government")
हटा दिया गया (Deleted)	**18. "भारत"।** ("India")
2(13) 'संश्रय' ('harbour')	52A. "संश्रय"। ("Harbour")
2(14) 'क्षति' ('injury')	44. "क्षति"। ("Injury")
2(15) 'अवैध' ('illegal') और "करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य"। ("legally bound to do")	43. "अवैध"। "करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य"। ("Illegal". "Legally bound to do")
2(16) 'न्यायाधीश' ('Judge')	19. "न्यायाधीश"। ("Judge")
2(17) 'जीवन' ('life')	45. "जीवन"। ("Life")
2(18) 'स्थानीय विधि' ('local law')	42. "स्थानीय विधि"। ("Local law")
2(19) 'पुरुष' ('man')	10. "पुरुष"। "स्त्री"। ("Man". "Woman")
2(20) 'मास' ('month') और 'वर्ष' ('year')	49. "वर्ष"। "मास"। ("Year". "Month")
2(21) 'जंगम संपत्ति' (परिवर्तन) ('movable property' (Change))	22. "जंगम संपत्ति"। ("Movable property")
2(22) 'वचन' ('number')	9. वचन। (Number)
2(23) 'शपथ' ('oath')	51. "शपथ"। ("Oath")
2(24) 'अपराध' ('offence')	40. "अपराध"। ("Offence")
2(25) 'लोप' ('omission')	33. "कार्य"। "लोप"। ("Act". "Omission")
2(26) 'व्यक्ति' ('person')	11. "व्यक्ति"। ("Person")
2(27) 'लोक' ('public')	12. "लोक"। ("Public")

हटा दिया गया (Deleted)	**14. "सरकार का सेवक"।** ("Servant of Government")
2(28) 'लोक सेवक' ('public servant')	21. "लोक सेवक"। ("Public servant")
2(29) 'विश्वास करने का कारण' ('reason to believe')	26. "विश्वास करने का कारण"। ("Reason to believe")
हटा दिया गया (Deleted)	**50. "धारा"। ("Section")**
2(30) 'विशेष विधि' ('special law')	41. "विशेष विधि"। ("Special law")
2(31) 'मूल्यवान प्रतिभूति' ('valuable security')	30. "मूल्यवान प्रतिभूति"। ("Valuable security")
2(32) 'जलयान' ('vessel')	48. "जलयान"। ("Vessel")
2(33) 'स्वेच्छया' ('voluntarily')	39. "स्वेच्छया"। ("Voluntarily")
2(34) 'विल' ('will')	31. "एक विल"। ("A will")
2(35) 'स्त्री' ('woman')	10. "पुरुष"। "स्त्री"। ("Man". "Woman")
2(36) 'सदोष अभिलाभ' ('wrongful gain')	23. "सदोष अभिलाभ"। ("Wrongful gain")
2(37) 'सदोष हानि' ('wrongful loss')	23. "सदोष हानि"। ("Wrongful loss")
2(38) 'सदोष अभिलाभ प्राप्त करना' ('gaining wrongfully') और 'सदोष हानि उठाना' ('losing wrongfully')	23. "सदोष अभिलाभ प्राप्त करना" और "सदोष हानि उठाना"। ("gaining wrongfully" and "losing wrongfully")
2(39)	**नई उप-धारा** (New Sub-Section)
3. साधारण स्पष्टीकरण (General explanations) 3(1)	6. संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्यधीन (subject to exceptions) समझा जाना।
3(2)	7. एक बार स्पष्टीकृत (explained) पद का भाव।
3(3)	27. पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में सम्पत्ति। (Property in possession of wife, clerk or servant)
3(4)	32. कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अन्तर्गत अवैध लोप (illegal omissions) आता है।
3(5)	34. सामान्य आशय (common intention) को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य।

3(6)	35. जब कि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक (criminal) है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है।
3(7)	36. अंशतः कार्य (partly by act) द्वारा और अंशतः लोप (partly by omission) द्वारा कारित परिणाम।
3(8)	37. किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। (Co-operation)
3(9)	38. आपराधिक कार्य में सम्पृक्त (concerned) व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे।
अध्याय II - दण्डों के विषय में (OF PUNISHMENTS)	**अध्याय III - दण्डों के विषय में** (OF PUNISHMENTS)
4. दण्ड। (परिवर्तन) (Punishments. (Change))	53. दण्ड। (Punishments)
हटा दिया गया (Deleted)	**53A. निर्वासन (transportation) के प्रति निर्देशों का अर्थ लगाना।**
5. दण्डादेश का लघुकरण। (Commutation of sentence) 5(a)	54. मृत्यु दण्डादेश का लघुकरण। (Commutation of sentence of death)
5(b)	55. आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण। (Commutation of sentence of imprisonment for life)
6. दण्ड की अवधियों की भिन्नें। (Fractions of terms of punishment)	57. दण्ड की अवधियों की भिन्नें। (Fractions of terms of punishment)
7. दण्डादेश (कारावास के कुछ मामलों में) पूर्णतः या भागतः कठिन या सादा हो सकेगा।	60. दण्डादेश (कारावास के कुछ मामलों में) पूर्णतः या भागतः कठिन या सादा हो सकेगा।
8. जुर्माने की रकम, जुर्माना न देने पर दायित्व, आदि। (परिवर्तन) (Amount of fine, liability in default of payment of fine, etc. (Change)) 8(1)	63. जुर्माने की रकम। (Amount of fine)
8(2)	64. जुर्माना न देने पर कारावास का दण्डादेश। (Sentence of imprisonment for non-payment of fine)

8(3)	65. जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि, जब कारावास और जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं।
8(4)	66. जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। (Description of imprisonment)
8(5)	67. जुर्माना न देने पर कारावास, जब अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो।
8(6)(a)	68. जुर्माना देने पर कारावास का समाप्त हो जाना। (Imprisonment to terminate on payment of fine)
8(6)(b)	69. जुर्माने के आनुपातिक भाग (proportional part) के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान (termination)।
8(7)	70. जुर्माना छह वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्ग्रहणीय (leviable) है। मृत्यु से संपत्ति दायित्व से मुक्त नहीं होती।
9. कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि।	71. कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि।
10. कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड, निर्णय में यह कथित है कि यह संदेहपूर्ण है कि वह किस अपराध का दोषी है।	72. कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेहपूर्ण है कि वह किस अपराध का दोषी है।
11. एकांत परिरोध। (Solitary confinement)	73. एकांत परिरोध। (Solitary confinement)
12. एकांत परिरोध की अवधि। (Limit of solitary confinement)	74. एकांत परिरोध की अवधि। (Limit of solitary confinement)
13. पूर्व दोषसिद्धि (previous conviction) के पश्चात् कुछ अपराधों के लिए वर्धित दण्ड (enhanced punishment)।	75. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् अध्याय XII या अध्याय XVII के अधीन कुछ अपराधों के लिए वर्धित दण्ड।
अध्याय III साधारण अपवाद (GENERAL EXCEPTIONS)	**अध्याय IV साधारण अपवाद (GENERAL EXCEPTIONS)**
14. विधि द्वारा आबद्ध (bound), या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।	76. विधि द्वारा आबद्ध, या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।

15. न्यायिकतः कार्य (acting judicially) करते हुए न्यायाधीश का कार्य।	77. न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य।
16. न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण (pursuant) में किया गया कार्य।	78. न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य।
17. विधि द्वारा न्यायानुमत (justified), या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।	79. विधि द्वारा न्यायानुमत, या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
18. विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। (Accident in doing a lawful act)	80. विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना।
19. कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य (likely) है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि का निवारण (prevent) करने के लिए किया गया है।	81. कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि का निवारण करने के लिए किया गया है।
20. सात वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य। (Act of a child under seven years of age)	82. सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य।
21. सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ (immature understanding) के बालक द्वारा किया गया कार्य।	83. सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य।
22. विकृतचित्त (unsound mind) व्यक्ति का कार्य।	84. विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य।
23. ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता (intoxication) के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है।	85. ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है।
24. अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान की आवश्यकता हो, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो मत्तता में है।	86. अपराध जिसके लिए एक विशेष आशय या ज्ञान की आवश्यकता हो, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो मत्तता में है।
25. सहमति से किया गया कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति (grievous hurt) कारित करने का आशय न हो और न ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो।	87. सहमति से किया गया कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो।

मामलों की सूची [BNS]

सामान्य सिद्धांत, आपराधिक मनःस्थिति (Mens Rea)

- **R. v. Prince (1875)**
  - ✓ यूके का मामला लेकिन अक्सर भारत में उद्धत (cited) किया जाता है
  - ✓ **नियम:** भले ही कोई व्यक्ति गलती से यह मान ले कि लड़की बालिग है, फिर भी वह नाबालिग के अपहरण का दोषी है। उम्र की गलती सख्त दायित्व (strict liability) वाले अपराधों में बचाव नहीं है।
- **Queen v. Tolson (1889)**
  - ✓ **नियम:** आम तौर पर, अपराध करने के लिए एक दोषी मन (आपराधिक मनःस्थिति / mens rea) होना चाहिए। लेकिन कभी-कभी कोई कानून किसी कार्य को दोषी मन के बिना भी दण्डनीय बना सकता है।
- **State of Maharashtra v. M.H. George (1965)**
  - ✓ **नियम:** वैधानिक अपराधों (statutory offences) (जो पूरी तरह से कानून द्वारा परिभाषित हैं) में भी, यदि कानून आपराधिक मनःस्थिति (mens rea) को बाहर नहीं करता है, तो अदालतों को यह मान लेना चाहिए कि यह आवश्यक है। इसलिए, किसी व्यक्ति को तब तक दण्डित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कोई दोषी मन न हो।
- **Sherras v. De Rutzen (1895)**
  - ✓ **नियम:** सामान्यतः, अपराधों के लिए एक दोषी मन की आवश्यकता होती है। लेकिन इसे बदला जा सकता है यदि कानून की शब्दावली स्पष्ट रूप से कुछ और दर्शाती है।
- **State of West Bengal v. Shew Mangal Singh (1981)**
  - ✓ **नियम:** मकसद (Motive) और आशय (intention) एक समान नहीं हैं। आशय का संबंध उद्देश्य से है, जबकि मकसद का संबंध कार्य के कारण से है।

दण्ड (Punishments)

- **Bachan Singh v. State of Punjab (1980) SC**
  - ✓ **नियम:** मृत्यु दण्ड केवल "विरले से विरलतम" (rarest of rare) मामलों में ही दिया जाना चाहिए।
- **Gopal Vinayak Godse v. State (1961) SC**
  - ✓ **नियम:** आजीवन कारावास का अर्थ व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए जेल है, न कि केवल 14 या 20 वर्ष।
- **Shiva Kumar vs State of Karnataka (2023) SC**
  - ✓ **नियम:** भले ही कोई मामला "विरले से विरलतम" न हो, अदालतें समय से पहले रिहाई के बिना एक निश्चित अवधि की जेल की सजा दे सकती हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दण्ड अपराध की गंभीरता के अनुरूप हो।
- **T.V. Vatheeswaran v. State of Tamil Nadu (1983) SC**
  - ✓ **नियम:** मृत्यु दण्ड के निष्पादन (executing) में देरी इसे आजीवन कारावास में बदलने (commutation) का आधार हो सकती है।

साधारण अपवाद (General Exceptions)

- **K.M. Nanavati v. State of Maharashtra (1962) SC**
  - ✓ **नियम:** यदि कोई अभियुक्त किसी कानूनी अपवाद (जैसे आत्मरक्षा, पागलपन) का दावा करता है, तो इसे साबित करने का भार (burden of proof) उसी पर होता है।
- **McNaughten's Case**
  - ✓ **नियम:** पागलपन के बचाव के लिए:
    - हर किसी को मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है।
    - अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि मानसिक बीमारी के कारण, वह यह नहीं समझ सका कि वह क्या कर रहा था या यह कि वह गलत था।
- **Queen Empress v. K.N. Shah (1896)**
  - ✓ **नियम:** हर मानसिक समस्या आपको दण्ड से मुक्त नहीं करती है। केवल ऐसे मानसिक विकार जो सही या गलत की समझ को गंभीर रूप से बाधित करते हैं, किसी को छूट दे सकते हैं।
- **Dayabhai Thakkar v. State of Gujarat (1964) SC**
  - ✓ **नियम:** पागलपन के मामलों में, मुख्य प्रश्न यह है: क्या अभियुक्त अपराध के ठीक समय पर पागल था?
- **Director of Public Prosecutions v. Beard (1920)**
  - ✓ **नशे (drunkenness) पर नियम:**
    - यदि नशे से पागलपन होता है, तो यह एक बचाव है।
    - यदि नशा विशिष्ट आशय (specific intent) बनाने से रोकता है, तो यह दोषसिद्धि से बचने में मदद कर सकता है।
    - समझ खोए बिना केवल नशा करना पर्याप्त नहीं है।
- **Basudev v. State of Pepsu (1956) SC**
  - ✓ **नियम:** एक नशे में धुत व्यक्ति से भी यह उम्मीद की जाती है कि वह चीजों को वैसे ही जानेगा जैसे कि वह होश में था, लेकिन अदालत उसके नशे की मात्रा के आधार पर उसके आशय की जाँच करेगी।
- **Puran Singh v. State of Punjab (1975) SC**
  - ✓ **नियम:** अतिचारी (trespassers) भी आत्मरक्षा का दावा कर सकते हैं यदि उनके पास स्थापित कब्जा (settled possession) है (पर्याप्त समय से, मालिक को ज्ञात, फसलें उगाई गईं, आदि)।
- **Deo Narain v. State of U.P. (1973) SC**
  - ✓ **नियम:** आत्मरक्षा का अधिकार जैसे ही तत्काल खतरे का वास्तविक भय होता है, शुरू हो जाता है। यह अपराध के वास्तव में घटित होने की प्रतीक्षा नहीं करता है।
- **Mahavir Chowdhary v. State of Bihar (1996) SC**
  - ✓ **नियम:** भारतीय कानून किसी व्यक्ति से खतरे में भाग जाने की उम्मीद नहीं करता है; यदि आवश्यक हो तो आपको जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति है।

- **Sukumaran v. State (2019) SC**
  - ✓ **नियम:** आत्मरक्षा के लिए वास्तविक हमले की आवश्यकता नहीं है। केवल उचित भय (reasonable fear) ही पर्याप्त है।
- **Mohd. Anwar v. State (2020) SC**
  - ✓ **नियम:** पागलपन साबित करने के लिए, अभियुक्त को यह दिखाना होगा:
    - गंभीर मानसिक रोग।
    - अपराध होने पर मानसिक बीमारी मौजूद थी।
- **Prem Singh v. State of NCT of Delhi (2023) SC**
  - ✓ **नियम:** पागलपन साबित करने का भार (Burden of proving) अभियुक्त पर है। कानून लोगों को तब तक मानसिक रूप से स्वस्थ मानता है जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए।
- **Paul v. State of Kerala (2020) SC**
  - ✓ **नियम:** एक नशे में धुत व्यक्ति के पास एक होश वाले व्यक्ति की तरह ज्ञान (knowledge) माना जाता है। आशय (Intent) मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।
- **Ranganayaki v. State (2004) SC**
  - ✓ **नियम:** प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आवश्यकता से अधिक हानि पहुँचाने की अनुमति नहीं देता है। उपयोग किया गया बल आनुपातिक (proportionate) होना चाहिए।

आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy)

- **Bimbadhar Pradhan v. State of Orissa (1954) SC**
  - ✓ **नियम:** यह पर्याप्त है कि लोगों के बीच एक षड्यंत्र था। भले ही केवल एक व्यक्ति को दण्डित किया जाए, अपराध अस्तित्व में रह सकता है।
- **State of Tamil Nadu v. Nalini (1999) SC**
  - ✓ **नियम:** केवल किसी षड्यंत्र से जुड़े होने या उसके बारे में जानने से कोई दोषी नहीं हो जाता। अपराध करने के लिए एक समझौता (agreement) होना चाहिए।
- **Rajender v. State (2019) SC**
  - ✓ **नियम:** षड्यंत्र साबित करने के लिए:
    - अवैध उद्देश्य।
    - एक योजना या तरीका।
    - दो या दो से अधिक लोगों के बीच समझौता।
- **State v. Shiv Charan Bansal (2020) SC**
  - ✓ **नियम:** षड्यंत्र आमतौर पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य (circumstantial evidence) से साबित होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं।
- **Manoj Kumar Soni v. State of Andhra Pradesh (2023) SC**
  - ✓ **नियम:** एक व्यक्ति अकेले षड्यंत्र नहीं कर सकता। षड्यंत्र के लिए कम से कम दो लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है।

राज्य के विरुद्ध अपराध (Offences Against the State)

- **State v. Navjot Sandhu (2005) SC**
  - ✓ **नियम:** सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना (**waging war**) साबित करने के लिए, अभियुक्त का सरकार के विरुद्ध लड़ने का आशय होना चाहिए।
- **Kedar Nath v. State (1962) SC**
  - ✓ **नियम:** राजद्रोह कानून (**Sedition law**) (धारा 124A IPC / 152 BNS) वैध है और यदि इसका उपयोग उचित रूप से किया जाता है तो यह भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है।
- **SG Vombatkere v. Union of India (2023) SC**
  - ✓ **नियम:** राजद्रोह कानून (धारा 124A IPC / 152 BNS) तब तक लागू है जब तक कि इसे निरस्त (**repealed**) नहीं कर दिया जाता। इसके तहत चल रहे मामले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि कानून में बदलाव नहीं किया जाता।

सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य (Common Intention and Common Object)

- **Mahboob Shah v. Emperor (1945) PC**
  - ✓ **नियम:** सामान्य आशय (**Common intention**) का अर्थ है पूर्व-योजना या विचारों का मिलना। यह पर्याप्त नहीं है कि कई लोग एक ही समय पर हमला कर दें।
- **Barendra Kumar Ghosh v. Emperor 1925 PC**
  - ✓ **नियम:** भले ही कोई व्यक्ति कुछ भी न करे, यदि वह दूसरों के साथ सामान्य आशय साझा करता है तो वह दोषी है।
- **Pandurang v. State of Hyderabad (1955) SC**
  - ✓ **नियम:** एक जैसा आशय (**Same intention**) ≠ सामान्य आशय (**common intention**)। लोग समान इरादे से एक साथ हमला कर सकते हैं लेकिन बिना किसी पूर्व योजना के।
- **Mala Singh v. State of Haryana (2019) SC**
  - ✓ **नियम:** धारा 34 IPC / 3(5) BNS को लागू करने के लिए, सामान्य आशय को साबित किया जाना चाहिए।
- **Rajesh Govind v. State of Maharashtra (2000) SC**
  - ✓ **नियम:** सामान्य आशय मौके पर अचानक भी विकसित हो सकता है।
- **Tukaram Ganpat v. State of Maharashtra (1974) SC**
  - ✓ **नियम:** सभी अभियुक्तों को अलग-अलग कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य आशय को अग्रसर करने में एक साथ कार्य करना ही पर्याप्त है।

- **Madan Singh v. State of Bihar (2004) SC**
  - ✓ **नियम:** किसी विधिविरुद्ध जमाव (**unlawful assembly**) में केवल उपस्थिति तब तक दोष के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक आप सामान्य उद्देश्य (**common object**) साझा नहीं करते।
- **Balvir Singh v. State of M.P. (2019) SC**
  - ✓ **नियम:** धारा 34 IPC / 3(5) BNS के लिए आवश्यक है:
    - सामान्य आशय।
    - उस आशय को अग्रसर करने में किया गया अपराध।
- **Subed Ali v. State of Assam (2020) SC**
  - ✓ **नियम:** सामान्य आशय के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है - इसका अनुमान तथ्यों और परिस्थितियों से लगाया जाता है।
- **Nanak Chand v. State of Punjab (1955) SC**
  - ✓ **नियम:** सामान्य आशय के लिए मौके पर उपस्थिति पर्याप्त नहीं है; साझा योजना का साक्ष्य होना चाहिए।
- **Chellappa v. State (2020) SC**
  - ✓ **नियम:** सामान्य आशय अपराध से कुछ क्षण पहले भी बन सकता है।
- **Ram Naresh v. State of UP (2023) SC**
  - ✓ **नियम:** सामान्य आशय के लिए औपचारिक षड्यंत्र की आवश्यकता नहीं है - यह एक मानसिक एकता है जो तुरंत उत्पन्न हो सकती है।
- **State of M.P. v. Killu (2020) SC**
  - ✓ **नियम:** धारा 149 IPC / 190 BNS के तहत, किसी विधिविरुद्ध जमाव में मात्र सदस्यता आपको समूह द्वारा किए गए अपराधों के लिए उत्तरदायी बनाती है।
- **Chandra Pratap Singh v. State of MP (2023) SC**
  - ✓ **नियम:** इनके बीच अंतर:
    - **सामान्य आशय** (धारा 34 IPC / 3(5) BNS) → पूर्व योजना, साझा मानसिक स्थिति।
    - **सामान्य उद्देश्य** (धारा 149 IPC / 190 BNS) → पूर्व योजना की आवश्यकता नहीं, केवल साझा उद्देश्य।

मानव शरीर के विरुद्ध अपराध (Offences Against Human Body)

- **Virsa Singh v. State of Punjab (1958) SC**
  - ✓ **नियम:** धारा 300 के तीसरे खंड के तहत हत्या के लिए:
    - किसी विशेष क्षति को पहुँचाने का आशय होना चाहिए
    - क्षति मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए
    - मृत्यु कारित करने के आशय को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

महत्वपूर्ण सिद्धांतों और नियमों की सूची

1. **Crimen trahit personam (धारा 1(3))** – अपराध व्यक्ति का अनुसरण करता है; क्षेत्राधिकार (**jurisdiction**) अभियुक्त का क्षेत्र के बाहर भी अनुसरण कर सकता है।
2. **सम्मिलन का सिद्धांत (Doctrine of Combination) (धारा 3(5))** – सामान्य आशय से किए गए संयुक्त कार्य सभी के लिए एक ही अपराध माने जाते हैं।
3. **संयुक्त दायित्व का सिद्धांत (Principle of Joint Liability) (धारा 3(5))** – सामान्य आशय से एक साथ कार्य करने वाले सभी लोग उस कार्य के लिए समान रूप से उत्तरदायी होते हैं।
4. **Eo instanti का सिद्धांत (धारा 3(5))** – सामान्य आशय उसी क्षण उत्पन्न हो सकता है जब कार्य किया जाता है।
5. **आजीवन कारावास नियम है और मृत्यु दण्ड एक अपवाद है (धारा 4)** – अदालतों को आजीवन कारावास को प्राथमिकता देनी चाहिए जब तक कि मामला विरले से विरलतम (**rarest of rare**) न हो।
6. **अर्ध-एकांत परिरोध (Quasi solitary confinement) (धारा 12)** – आजीवन दोषियों को कानूनी सुरक्षा उपायों के अधीन सीमित अलगाव में रखा जा सकता है।
7. **Ignorantia facti excusat, ignorantia juris non excusat (धारा 14)** – तथ्य की अज्ञानता क्षम्य है, लेकिन विधि की अज्ञानता नहीं।
8. **Necessitas non habet legem (धारा 19)** – आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती; आवश्यकता का कार्य आपराधिकता को क्षमा कर सकता है।
9. **आवश्यकता का सिद्धांत (Doctrine of Necessity) (धारा 19)** – यदि कोई अपराध अधिक बड़ी हानि को रोकने के लिए किया गया हो तो उसे क्षमा किया जा सकता है।
10. **Doli incapax (धारा 20)** – 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आपराधिक आशय नहीं बना सकते।
11. **Doli capax (धारा 21)** – 7 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि वे अपने कार्य को समझने में सक्षम हों।
12. **कानूनी बनाम चिकित्सीय पागलपन (Legal vs. Medical Insanity) (धारा 22)** – कानूनी पागलपन अभियुक्त की कार्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता से संबंधित है, न कि केवल चिकित्सीय बीमारी से।
13. **McNaughten नियम (धारा 22)** – अभियुक्त को मन की अस्वस्थता के कारण कार्य की प्रकृति या उसके गलत होने को जानने में असमर्थ होना चाहिए।
14. **Wild Beast Test (धारा 22)** – पूर्ण मानसिक अक्षमता का एक परीक्षण, मानो व्यक्ति के पास एक जंगली जानवर से अधिक तर्क न हो।
15. **Durham Rule (धारा 22)** – एक कार्य को क्षमा किया जाता है यदि वह किसी मानसिक बीमारी या दोष का उत्पाद था (भारत में इसका पालन नहीं किया जाता)।
16. **Non compos mentis (धारा 22)** – विकृतचित्त व्यक्ति में अपराध करने की मानसिक क्षमता का अभाव होता है।

17. **Volenti non fit injuria (धारा 25–31)** – जो हानि के लिए सहमति देता है, वह क्षति का दावा नहीं कर सकता।
18. **Actus me invito factus non est mens actus (धारा 32)** – किसी की इच्छा के बिना किया गया कार्य आपराधिक नहीं है।
19. **De minimis non curat lex (धारा 33)** – कानून तुच्छ मामलों की परवाह नहीं करता है।
20. **पीछे हटने का सिद्धांत (Doctrine of Retreat) (धारा 34)** – आत्मरक्षा में बल का प्रयोग करने से पहले अभियुक्त को, यदि संभव हो, पीछे हटना चाहिए।
21. **Locus regit actum (धारा 61)** – स्थान कार्य को नियंत्रित करता है; प्रक्रियात्मक कार्य उस स्थान के कानून द्वारा शासित होते हैं जहाँ वे किए जाते हैं।
22. **Locus Poenitentiae (धारा 62)** – कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्य के पूरा होने से पहले उससे पीछे हट सकता है।
23. **असंदिग्धता परीक्षण (Equivocality Test) (धारा 62)** – प्रयत्न गठित करने के लिए किसी अपराध को करने की दिशा में एक स्पष्ट और असंदिग्ध कार्य होना चाहिए।
24. **निकटता का नियम (Proximity Rule) (धारा 62)** – प्रयत्न तब शुरू होता है जब कार्य अपराध के निकट होता है।
25. **टू-फिंगर टेस्ट (Two-finger Test) (धारा 64)** – अमान्य परीक्षण; यौन उत्पीड़न से बचे लोगों की गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन करता है।
26. **निकटता का परीक्षण (Test of Proximity) (धारा 80)** – दहेज मृत्यु के लिए, क्रूरता और मृत्यु के बीच समय की निकटता महत्वपूर्ण है।
27. **Medical Termination of Pregnancy Act, 2021 (धारा 88)** – कानूनी गर्भपात करने वाले पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की रक्षा करता है।
28. **प्रत्यक्ष कारण संबंध (Direct Causal Connection) (धारा 100)** – कार्य और परिणाम के बीच सीधा संबंध होना चाहिए।
29. **विद्वेष का हस्तांतरण (Transfer of Malice) (धारा 102)** – एक व्यक्ति के विरुद्ध आशय वास्तविक पीड़ित को हस्तांतरित किया जा सकता है।
30. **मृत्यु दण्ड की संवैधानिकता (Constitutionality of Death Penalty) (धारा 103)** – मृत्यु दण्ड वैध है लेकिन इसका संयम से उपयोग किया जाना चाहिए।
31. **विरले से विरलतम परीक्षण (Rarest of Rare Test) (धारा 103)** – मृत्यु दण्ड केवल उन मामलों में जहाँ आजीवन कारावास अपर्याप्त हो।
32. **नूर्नबर्ग बचाव (Nuremberg Defence) (धारा 120)** – "मैं केवल आदेशों का पालन कर रहा था" अपराधों के लिए एक वैध बचाव नहीं है।

33. **एसिड हमले के पीड़ितों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश (SC Guidelines on Acid Attack Victims) (धारा 124)** – पीड़ित मुआवजे, उपचार और पुनर्वास के हकदार हैं।
34. **सामान्य आशय बनाम सामान्य उद्देश्य (Common Intention vs. Common Object) (धारा 190)** – धारा 3(5) के तहत सामान्य आशय; धारा 190 के तहत सामान्य उद्देश्य - पहले वाले को विचारों के पूर्व-मिलन की आवश्यकता होती है, दूसरे को नहीं।
35. **Respondeat Superior (धारा 193)** – एक वरिष्ठ अपने अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। प्रधान को उत्तर देने दें।
36. **हिकलिन परीक्षण (Hicklin Test) (धारा 294)** – मन को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति पर आधारित अश्लीलता का परीक्षण (पुराना; "सामुदायिक मानकों" द्वारा प्रतिस्थापित)।
37. **Res Nullius (धारा 303)** – जो वस्तु किसी की नहीं है, उसे पहला कब्जा करने वाला प्राप्त कर सकता है।
38. **प्रतिनिहित दायित्व (Vicarious Liability) (धारा 356)** – कुछ कानूनी संबंधों के तहत किसी अन्य व्यक्ति के कार्य के लिए दायित्व।
39. **दीवानी और आपराधिक मानहानि (Civil and Criminal Defamation) (धारा 356)** – मानहानि से दीवानी उपचार और आपराधिक दण्ड दोनों हो सकते हैं।

नए जोड़े गए प्रावधान (Newly Added Provisions)

धारा (Section)	विवरण (Description)
2(3)	"बालक" (**Child**) को परिभाषित किया गया है।
4(f)	पहले से निर्दिष्ट पांच दण्डों के अतिरिक्त, खंड (f) में अब एक अतिरिक्त प्रकार का दण्ड - सामुदायिक सेवा (**community service**) - शामिल है।
48	भारत में किसी अपराध के लिए भारत के बाहर दुष्प्रेरण (**abetment**) की परिभाषा दी गई है।
69	छलपूर्ण साधनों (**deceptive means**) से यौन संबंध (जो बलात्कार के अपराध की कोटि में नहीं आता) को एक अतिरिक्त प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
95	किसी अपराध को करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या लगाना अब दण्डनीय माना जाता है और इसे इस धारा के भीतर परिभाषित किया गया है।
103(2)	हत्या के लिए दण्ड - हत्या के लिए मौजूदा दण्ड के अतिरिक्त, इस धारा में मॉब लिंचिंग (**mob lynching**) से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है।
106(1)	इस खंड का और विस्तार किया गया है और अब इसमें चिकित्सीय उपेक्षा (**medical negligence**) के मामले शामिल हैं। यह प्रावधान करता है कि यदि ऐसा कार्य किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया करते समय किया जाता है, तो उसे दो वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डित किया जाएगा, और जुर्माना भी देना होगा।

अध्याय I (CHAPTER I)
धारा 1-3 [संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना]

धारा 1: संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

खंड (1): संक्षिप्त नाम (Short Title)

"इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता, 2023 होगा।"

यह Indian Penal Code, 1860 (IPC) का स्थान लेता है।

यह भारत में दण्ड विधि (**penal law**) का नया वैधानिक शीर्षक प्रदान करता है।

खंड (2): प्रारम्भ [1 जुलाई 2024] (Commencement)

"यह उस तारीख को प्रवृत्त (**come into force**) होगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित (**notify**) करे..."

- अधिनियम के विभिन्न प्रावधान राजपत्र (**Official Gazette**) में अधिसूचित किए जाने पर अलग-अलग तारीखों पर शुरू हो सकते हैं।
- **उदाहरण:** धारा 103 (हत्या) को साइबर अपराध से संबंधित प्रावधानों से पहले लागू किया जा सकता है।

खंड (3): भारत के भीतर प्रयोज्यता (Applicability)

"प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के तहत... भारत के भीतर किए गए कार्यों के लिए दण्डित होगा।"

- यह भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों (नागरिकों या विदेशियों) पर लागू होता है।

मामला विधि (Case Law): State of Maharashtra v. M.H. George, AIR 1965 SC 722

- इस मामले में एक विदेशी नागरिक शामिल था जो बिना घोषणा के भारत में सोना ले जा रहा था, और उसने Sea Customs Act के तहत अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी।
- अभियुक्त ने निषेध (**prohibition**) से अनभिज्ञता का दावा किया क्योंकि उसे इसकी कोई सूचना नहीं थी।
- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **विधि की अज्ञानता कोई बचाव नहीं है** (सूत्र: **ignorantia juris non excusat**)।
- वैधानिक अपराधों (**statutory offences**) में, आपराधिक मनःस्थिति (**mens rea**) हमेशा आवश्यक नहीं होती है जब तक कि कानून द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से प्रदान न किया गया हो।
- दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया क्योंकि यह कार्य कानून द्वारा निषिद्ध था, भले ही अभियुक्त को इसकी जानकारी न हो।

खंड (4): राज्यक्षेत्रातीत प्रयोज्यता (Extra-territorial Application) (सामान्य कानून पर आधारित)

"भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति... इस संहिता के तहत इस प्रकार निपटा जाएगा... मानो वह भारत में किया गया हो।"

- यह खंड विदेश में किए गए कुछ अपराधों पर भारत के क्षेत्राधिकार का समर्थन करता है, यदि वह व्यक्ति भारत में लागू किसी भी कानून के तहत उत्तरदायी है।
- **काल्पनिक उदाहरण:**
- यदि कोई विदेशी दूसरे देश में भारतीय हितों के विरुद्ध आतंकवादी कृत्य करता है और उसे भारत में गिरफ्तार किया जाता है, तो उस पर इस संहिता के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

खंड (5): विशिष्ट राज्यक्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार (Specific Extra-territorial Jurisdiction)

(a) भारत के बाहर भारतीय नागरिक:

विदेश में अपराध करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक इस संहिता के तहत उत्तरदायी है।

मामला विधि (Case Law): Mobarik Ali Ahmed v. State of Bombay, AIR 1957 SC 857

निर्णय (Held): एक भारतीय नागरिक जो दूसरे देश में धोखाधड़ी करता है लेकिन बाद में भारत में पाया जाता है, उस पर भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

(b) भारतीय जहाज/विमान पर अपराध:

एक भारतीय-पंजीकृत जहाज/विमान पर अपराध करने वाला व्यक्ति, स्थान की परवाह किए बिना, इस संहिता के तहत उत्तरदायी है।

उदाहरण: अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ रही Air India की उड़ान में की गई चोरी इस कानून के तहत दण्डनीय है।

(c) भारतीय कंप्यूटर संसाधनों को लक्षित करने वाला अपराध:

भले ही अपराधी भारत के बाहर हो, यदि अपराध किसी भारतीय कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को प्रभावित करता है, तो भारतीय कानून लागू होता है।

उदाहरण: जर्मनी में एक हैकर जो दिल्ली में एक सरकारी सर्वर को हैक करता है, उस पर इस संहिता के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

स्पष्टीकरण:

"अपराध" को व्यापक रूप से परिभाषित करता है जिसमें विदेश में किए गए ऐसे कार्य शामिल हैं जो यदि भारत में किए गए होते तो अपराध होते।

दृष्टांत:

क, एक भारतीय नागरिक, नेपाल में हत्या करता है। वह बाद में दिल्ली में पाया जाता है।

उस पर दिल्ली में भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दोषी ठहराया जा सकता है।

खंड (6): व्यावृत्ति खंड (Savings Clause)

"इस संहिता की कोई भी बात विद्रोह (**mutiny**), अभित्याग (**desertion**), या विशेष/स्थानीय कानूनों से संबंधित किसी भी कानून के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।"

- यह निम्नलिखित के तहत क्षेत्राधिकार को संरक्षित करता है:
  - ✓ Army/Navy/Air Force Acts (सेवा कर्मियों के लिए)
  - ✓ विशेष/स्थानीय कानून (जैसे, NDPS Act, UAPA, POCSO)

मामला विधि (Case Law): Union of India v. Sunil Kumar, AIR 1985 SC 257

निर्णय (Held): एक सैनिक पर अभित्याग या विद्रोह जैसे कुछ अपराधों के लिए Army Act के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, और जरूरी नहीं कि IPC (अब BNS) के तहत हो।

धारा 2 – परिभाषाएँ (Section 2 – Definitions)

1. **खंड (1) : कार्य (Act)**
   - ✓ **परिभाषा:** इसमें एकल कार्य और कार्यों की श्रृंखला दोनों शामिल हैं।
   - ✓ **महत्व:** यह मानता है कि कोई अपराध एक या कई जुड़े हुए कार्यों के माध्यम से किया जा सकता है।
   - ✓ **उदाहरण:** बलवा या षड्यंत्र के मामले में, कई कार्य मिलकर अपराध का गठन करते हैं।
2. **खंड (2) : जीवजंतु (Animal)**
   - ✓ **परिभाषा:** मनुष्य के अलावा कोई भी जीवित प्राणी।
   - ✓ **उपयोग:** Prevention of Cruelty to Animals Act या वन्यजीव कानूनों के तहत अपराधों में लागू।
3. **खंड (3) : बालक (शिशु) (Child)**
   - ✓ **परिभाषा:** 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति।
   - ✓ **महत्व:** किशोर न्याय कानून, POCSO Act, बाल श्रम कानून, आदि की प्रयोज्यता (**applicability**) निर्धारित करता है।
4. **खंड (4) : कूटकरण (Counterfeit)**
   - ✓ **परिभाषा:** धोखा देने के इरादे या संभावना के साथ एक चीज को दूसरी चीज के समान बनाना।
   - ✓ **स्पष्टीकरण:**
     - सटीक नकल आवश्यक नहीं है।
     - यदि समानता से धोखा होने की संभावना है, तो धोखे का अनुमान (**presumed**) लगाया जाता है।
   - ✓ **अनुप्रयोग:** कूटरचना (Forgery), नकली मुद्रा, कूटकृत स्टाम्प।
   - ✓ **मामला विधि (Case Law):** *Mohd. Ibrahim v. State of Bihar*, (2009) 8 SCC 751 – कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कूटकरण के प्रावधानों को आकर्षित करता है।
5. **खंड (5) : न्यायालय (Court)**
   - ✓ **परिभाषा:** एक न्यायाधीश या न्यायाधीशों का एक निकाय जो कानून के तहत न्यायिक रूप से कार्य कर रहा हो।
   - ✓ **निहितार्थ (Implication):** यह स्पष्ट करता है कि अधिकरण (**tribunal**) या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण इसके अंतर्गत तब तक नहीं आ सकते जब तक कि वे न्यायिक रूप से कार्य न कर रहे हों।
   - ✓ इसे BSA की धारा 2(a) के तहत भी परिभाषित किया गया है।
6. **खंड (6) : मृत्यु (Death)**
   - ✓ **परिभाषा:** जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, मनुष्य की मृत्यु अभिप्रेत है।
   - ✓ **संदर्भ:** हत्या (धारा 101 BNS), आपराधिक मानव वध (धारा 103 BNS), आदि जैसे अपराधों के लिए।
7. **खंड (7) : बेईमानी से (Dishonestly)**
   - ✓ **परिभाषा:** सदोष लाभ (**wrongful gain**) या सदोष हानि (**wrongful loss**) पहुँचाने के आशय से कोई कार्य करना।
   - ✓ **उपयोग:** चोरी, छल, आपराधिक न्यासभंग जैसे अपराधों के लिए केंद्रीय।

8. खंड (8) : दस्तावेज़ (Document)

- ✓ **परिभाषा:** लेखन, अंकों, चिह्नों, डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में व्यक्त कोई भी विषय जिसे साक्ष्य के रूप में उपयोग करने का आशय हो।
- ✓ **स्पष्टीकरण:** पारंपरिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं।
- ✓ **उदाहरण:** अनुबंध, चेक, मुख्तारनामा (**power of attorney**), नक्शा, निर्देश पत्र।
- ✓ **मामला विधि (Case Law):** *State of Rajasthan v. Kashi Ram*, (2006) – दस्तावेजों को Evidence Act के अनुसार साबित किया जाना चाहिए।
- ✓ *इसे BSA की धारा 2(d) के तहत भी परिभाषित किया गया है।*

9. खंड (9): कपटपूर्वक (Fraudulently)

- ✓ **परिभाषा:** धोखा देने के आशय से कोई कार्य करना।
- ✓ **धोखा देने का आशय (Intent to Deceive)** – किसी को गुमराह करने के लिए एक जानबूझकर की गई योजना होनी चाहिए।
- ✓ **परिणामस्वरूप सदोष हानि या लाभ (Resulting in Wrongful Loss or Gain)** – धोखे का उद्देश्य दूसरे को हानि पहुँचाना या स्वयं/दूसरे के लिए लाभ सुरक्षित करना होना चाहिए।
- ✓ **नोट:** दुर्भावनापूर्ण आशय (**Malafide intention**) महत्वपूर्ण है।
- ✓ **उपयोग:** छल, धोखाधड़ी, मिथ्या व्यपदेशन (**misrepresentation**) के मामलों में।

10. खंड (10) : लिंग (Gender)

- ✓ **परिभाषा:** सर्वनाम "वह" में पुरुष, महिला और उभयलिंगी व्यक्ति शामिल हैं।
- ✓ **स्पष्टीकरण:** "उभयलिंगी" Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 के अनुसार।

11. खंड (11) : सद्भावपूर्वक (Good Faith)

- ✓ **परिभाषा:** कोई कार्य सद्भावपूर्वक नहीं है यदि वह सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना किया गया हो।
- ✓ **परीक्षण:** वस्तुनिष्ठ परीक्षण (**Objective test**) – एक तर्कसंगत व्यक्ति क्या करेगा।
- ✓ **मामला विधि (Case Law):** *Smt. Sulekha v. State of Haryana*, AIR 1988 – सद्भावपूर्वक के लिए केवल ईमानदारी ही नहीं, बल्कि विवेक (**prudence**) की भी आवश्यकता होती है।

12. खंड (12) : सरकार (Government)

- ✓ **शामिल हैं:** केंद्र और राज्य सरकार।

13. खंड (13) : संश्रय (Harbour)

- ✓ **परिभाषा:** गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी की सहायता करना (भोजन, आश्रय, धन, के द्वारा)।
- ✓ **अनुप्रयोग:** अक्सर फरार अभियुक्तों, भगोड़ों की सहायता करने के मामलों में लागू होता है।

14. खंड (14) : क्षति (Injury)

- ✓ **परिभाषा:** शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से पहुँचाई गई हानि।
- ✓ **इनके लिए प्रासंगिक:** उपहति, घोर उपहति, मानहानि, संपत्ति को नुकसान पर धाराएँ।

15.खंड (15): अवैध / कानूनी रूप से आबद्ध (Illegal / Legally Bound)

- ✓ **अवैध:** कानून द्वारा निषिद्ध या दण्डनीय कुछ भी, या दीवानी मुकदमे का आधार।
- ✓ शब्द "अवैध" का प्रयोग केवल "कानून के विरुद्ध" से अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है।
  कोई कार्य ***अवैध*** कहलाता है यदि वह:
  - **कानून द्वारा निषिद्ध है** – ऐसा कुछ करना जिसे कानून स्पष्ट रूप से मना करता है।
  - **एक अपराध है** – ऐसा कुछ करना जो आपराधिक कानून के तहत दण्डनीय है।
  - **एक दीवानी दोष है** – ऐसा कुछ करना जो आपराधिक अपराध नहीं है, लेकिन एक दीवानी न्यायालय में कार्यवाही योग्य (**actionable**) है (जैसे, संविदा भंग, अतिचार या मानहानि जैसे अपकृत्य)।
  - *इस प्रकार, BNS में "अवैध" में आपराधिक और कुछ दीवानी दोष दोनों शामिल हैं।*
- ✓ **कानूनी रूप से आबद्ध (Legally Bound):** कानून द्वारा अधिरोपित कर्तव्य। किसी व्यक्ति को कुछ ***"करने के लिए कानूनी रूप से आबद्ध"*** तब कहा जाता है जब **कानून उन पर उस कार्य को करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है**, और ऐसा करने में विफलता एक अपराध की कोटि में आती है।
- ✓ **महत्वपूर्ण बिंदु:**
  - दायित्व कानून से उत्पन्न होना चाहिए, न कि केवल एक संविदा या नैतिक कर्तव्य से।
  - पालन न करना कानून के तहत दण्डनीय होना चाहिए।

16.खंड (16) : न्यायाधीश (Judge)

- ✓ **परिभाषा:** दीवानी/आपराधिक मामलों में निश्चित या बाध्यकारी निर्णय देने के लिए अधिकृत व्यक्ति।

17.खंड (17) : जीवन (Life)

- ✓ **परिभाषा:** जब तक अन्यथा न कहा गया हो, मनुष्य का जीवन अभिप्रेत है।
- ✓ **महत्व:** हत्या के प्रयास या आजीवन कारावास जैसे अपराधों में उपयोग को स्पष्ट करता है।

18.खंड (18) : स्थानीय विधि (Local Law)

- ✓ **परिभाषा:** केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में लागू होने वाला कानून (जैसे, राज्य कानून, जनजातीय कानून)।

19.खंड (19) : पुरुष (Man)

- ✓ **परिभाषा:** किसी भी आयु का पुरुष मानव।

20.खंड (20) : मास / वर्ष (Month / Year)

- ✓ **मानक:** ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित।
- ✓ **उद्देश्य:** कानूनी गणनाओं (परिसीमा, कारावास, आदि) में एकरूपता।

21.खंड (21) : जंगम संपत्ति (Movable Property)

- ✓ **शामिल है:** भूमि या पृथ्वी से जुड़ी चीजों को छोड़कर सभी संपत्ति।
- ✓ **उपयोग:** चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आदि में।

22.खंड (22) : वचन (Number)

- ✓ एकवचन = बहुवचन, और बहुवचन = एकवचन जब तक कि संदर्भ अन्यथा प्रतिकूल प्रतीत न हो।